न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 225/2021(2021/00447)

सुरेश प्रकाश पाराशर पुत्र भैरूलाल पाराशर निवासी केकडी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी –– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–

1. मुरलीधर–वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

–:: आदेश ::–

दिनांक– 12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान के प्रकरण मे प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 987 व 986 मे कंम संख्या 7 व 8 सुरेश पुत्र भैरूलाल व सुरेश प्रकाश पुत्र भैरूलाल का नाम दो जगह अंकित हो चुका है तथा खाता संख्या 985 मे क्रम संख्या 7 पर प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र भैरूलाल का अंकन है जबकि सुरेश पुत्र भैरूलाल व सुरेश प्रकार पुत्र भैरूलाल एक ही व्यक्ति का नाम है जो वादग्रस्त आराजी मे हाल जमाबंदी मे खाता संख्या 987 व 986 मे एक ही खातेदार का नाम दो जगह अंकित हो गया है शेष पक्षकारान के हिस्से मे आराजी कम हो गई है तथा प्रार्थी के हिस्से मे दो हिस्से दर्ज हो चुके है जबकि दोनो व्यक्ति एक ही है सुरेश पुत्र भैरूलाल व सुरेश प्रकाश पुत्र भैरूलाल एक ही व्यक्ति का नाम होने से हाल खाता संख्या 987 व 986 व 985 मे नाम दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम सुरेश प्रकाश पाराशर पुत्र भैरूलाल पाराशर कौम ब्राम्हण का नाम संशोधित किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार करया जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिका एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कि गई। जिसे शमिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने मौका रिपोर्ट मे खातेदारान के मय हिस्से अनुसार मौका रिपोर्ट पेश कि है तथा सुरेश पुत्र भैरूलाल व सुरेश प्रकार पुत्र भैरूलाल एक ही व्यक्ति होने वावत् अपनी मौका रिपोर्ट मे पेरा संख्या 2 वर्णन किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे होना दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम होना जाहिर होता है तथा दोनो नाम का व्यक्ति एक ही होने से वादग्रस्त आराजी मे एक ही हिस्से पर काबिज काश्त है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बनता है ।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबंदी के खाता संख्या 987, 986 मे प्रार्थी का नाम कम संख्या 7 व 8 पर दर्ज है तथा खाता संख्या 985 मे प्रार्थी का नाम कम संख्या 7 पर सुरेश पुत्र भैरूलाल दर्ज होने के बाबत् प्रार्थी ने अपना निर्वाचन पहचान पत्र, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा का मूल्यांकन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व 50रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र पेश किया है जिसमे प्रार्थी का नाम सुरेश प्रकाश पुत्र भैरूलाल पाराशर होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 987 व 986 मे इन्द्राज दुरस्ती करने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त खाते मे कम संख्या 7 व 8 मे से एक का नाम हटाया जाकर सम्पुर्ण खाते मे अपने हिस्से अनुसार हिस्सा दुरस्त किया जावे। तथा इसी प्रकार खाता संख्या 985 मे सुरेश का नाम सुरेश प्रकाश पाराशर पुत्र भैरूलाल पारशर दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सावर आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावें।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:06:50 IST
Reason: SelfAttested

...यक अधिकारी
...क अदालत बैंच
...विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

कमांक / रीडर / 2022 / 318 दिनांक 15/02/2022

निमित्तः–

तहसीलदार,
केकडी,

विषयः– प्रकरण स.225/2021 सुरेश कुमार पाराशर पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी केकडी बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में जांच कर रिपोर्ट बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण स. 225/2021 सुरेश कुमार पाराशर जाति ब्राहम्ण निवासी केकडी बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.3.2022 नियत की गई है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुवार जॉच रिपोर्ट आगामी दिनांक 4.3.2022 से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner